


तारीख हुकम	प्रकरण नं० २०२१ / १२५/२०१५ रा काउ हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजपाल डा० और खलसि व नाथ कुंठा डा० और खलसि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
२९-५-१६	<p> पञ्चवली राजस्व लोह नदालत क्षेत्र मोडल पर केस है। वादी एवं प्रतिवादिता उपस्थित नहीं। नदी नदी मोडल को विभाजन स्वीकृत किया जाने की पालन के पटवारी हतक की रिपोर्ट प्राप्त है। जिसे माओ पञ्चवली भी गयी। प्राप्त पटवारी हतक की रिपोर्ट के अनुसार के जारी किया है कि वादी राजपाल डा० और खलसि ने अपना हित ११५ जमीने के तहत नम्बर १५३ दिनांक ५-१-२०१६ को प्रतिवादी कुंठा डा० और खलसि ने भी अपना हित ११५ जमीने के तहत नम्बर १२३ दिनांक ३-६-१५ के द्वारा प्रीमरि किया ७१० राजकुमार गहलोत को ११५ हितक बेचान कर दिया। व विवादिता न्यायिकता के वादी एवं प्रतिवादी के। का कोई हितक शेष नहीं रहा है। व प्रीमरि किया नपश्चक पक्षकार होने इस भी वाद प्रक के पक्षकार नहीं है ऐसी स्थिति के वादी द्वारा याही गयी दादरसी प्राप्त करने का कोचकारी नहीं है। </p> <p> हा: वादी व प्रतिवादी के। का विवादिता न्यायिकता के कोई हितक शेष नहीं रहने व प्रीमरि किया के पक्षकार नहीं कनाये जाने के न्याय हित के वादी का वाद प्रक आर ५३-५५-१८८ R-T-A स्वीकृत किया जाता है। पञ्चवली के तहत शुमार की जाकर अन्तर कारिका है। </p> <p style="text-align: center;">  (देवी सिंह) पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर माण्डल </p>	